

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

के० डी० प्रौज्जवल,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार।

ई० मेल०

/पटना-15, दिनांक-

विषय:-तथ्य कथन तैयार करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं को अवसर प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि दिनांक 09.06.2026 को न्यायिक मामलों की समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि विभाग के विरुद्ध दायरवादों में तथ्य कथन एवं पूरक तथ्य कथन इत्यादि के कतिपय मामले पैनल अधिवक्ताओं के पास लंबित हैं अथवा उनके द्वारा इसके निष्पादन में अधिक समय की मांग की जा रही है, जिस कारण न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा इत्यादि दायर करने में विलम्ब हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक 6097 दिनांक 12.12.2023 द्वारा कुल 26 अधिवक्ता, विभागीय कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक 1232 दिनांक 18.03.2025 द्वारा एक अधिवक्ता, विभागीय कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक 3112 दिनांक 08.07.2025 द्वारा एक अधिवक्ता एवं विभागीय कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक 7137 दिनांक 31.12.2025 द्वारा एक अधिवक्ता अर्थात् कुल 29 अधिवक्ता वर्तमान में विभाग के विरुद्ध दायरवादों में तथ्य कथन तैयार करने हेतु नामित हैं परन्तु यह परिलक्षित हो रहा है कि कतिपय कुछ अधिवक्ताओं से ही तथ्य कथन तैयार कराया जा रहा है, जिससे दायरवादों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांकों द्वारा विभागीय पैनल में नामित अन्य अधिवक्ताओं को भी वाद की गम्भीरता के आधार पर स्व-विवेचना कर तथ्य कथन तैयार करने का अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय न्यायालयों में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(के० डी० प्रौज्जवल)

विशेष सचिव।

क०प०उ०

ज्ञापांक :-18/मुक0-विविध-07/2025

/पटना-15, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक: -18/मुक0-विविध-07/2025 3368 /पटना-15, दिनांक-17/6/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को सभी मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार के ई0 मेल आई0 डी0 पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव ।